Reg. No.- COOP/2020/JHUNJHUNU/200019

सिद्धिर्भवति कर्मजा

Success is Born of Action

Jhunjhunu Alumni Welfare Association for Navodayans Society

(An State level organisation for welfare of JNV Kajra Alumni)

e-mail:- jnvkjawans@gmail.com

क्रमांकः– JAWANS/2022-23/साधारण सभा/02 दिनांकः– 22.01.2023

विशेष साधारण सभा

दिनाँक 22.01.2023 को जवाहर नवोदय विद्यालय, काजड़ा (झुंझुनूं) के शैक्षणिक भवन में श्री अशोक धत्तरवाल की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष की द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में विधान के निम्न बिन्दुओं में संशोधन पर विचार किया गया:–

विधान का विवरण	पंजीकृत विधान का नियम	संशोधित विधान का नियम
1. संस्था का नाम :–	JHUNJHUNU ALUMNI WELFARE ASSOCIATION FOR NAVODAYANS SOCIATY	JHUNJHUNU ALUMNI WELFARE ASSOCIATION FOR NAVODAYANS SOCIETY (JAWANS) होगा।
2. पंजीकृत कार्यालय :–	उम्मेद भवन, तहसील कार्यालय, झुंझुनूं	फरट चौक, लोहारू–चिड़ावा रोड़, सूरजगढ़ जिला–झुंझुनू (राज.) पिन–333029
3. कार्य क्षेत्र :–	कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।	संस्था का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।
4. संस्था का मूल स्वरूप		इस संस्था का मूल स्वरूप लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, गैर–राजनीतिक, गैर व्यवसायिक, जन कल्याणकारी एवं समाज समावेशी होगा जिसमें एक कार्यकारिणी, एक महामात्य एवं 6 समितियां होंगी।
5. संस्था के उद्देश्य :–	1. नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में योगदान करना। 2. विद्यालय शिक्षा के पश्चात् संस्थान के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। 3. संस्था द्वारा नवोदय विद्यालय की स्थापना के मूलभूत उद्देश्यों को सामाजिक परिवेश में उतारना। 4. जवाहर नवोदय विद्यालय के विद्यार्थियों को एक प्लेटफोर्म पर लाने का प्रयास करना तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोंच का विकास करना। 5. संस्था द्वारा विशिष्ट अवसरों पर रक्तदान, श्रमदान एवं चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना। 6. संस्था द्वारा जनचेतना हेतु विशेष प्रयास करना। 7. एल्युमिनी सदस्यों में बन्धुत्व की भावना को सुदृढ़ करना। 8. सांस्कृतिक समन्वय के लिये संस्थान द्वारा समय–समय पर विभिन्न शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन का आयोजन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नही है।	1. विद्यालय के पूर्व व वर्तमान विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास में योगदान करना। 2. विद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना। 3. संस्था द्वारा नवोदय विद्यालयों की स्थापना के मूलभूत उद्देश्यों को सामाजिक परिवेश में उतारना। 4. जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को एक प्लेटफोर्म पर लाने का प्रयास करना तथा उनमें वैज्ञानिक सोंच का विकास करना। 5. संस्था द्वारा विशिष्ट अवसरों पर रक्तदान, श्रमदान,चिकित्सा शिविर एवं अन्य समाज कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन करना। 6. संस्था द्वारा जनचेतना एवं समाज कल्याण हेतु विशेष प्रयास करना। 7. एल्युमिनी सदस्यों में बन्धुत्व की भावना को सुदृढ़ करना। 8. सांस्कृतिक समन्वय के लिये संस्था द्वारा समय–समय पर विभिन्न शिविरों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना। 9. उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा (IIT,NIT, Govt. Medical Colleges, IISc, IIM, Recognised Universities etc.) हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा (झुंझुनू) के जरूरतमंद

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति / वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। 10. संस्था के सदस्यों के असामयिक स्वर्गवासी होने पर उनके परिवार को मानसिक एवं आर्थिक संबल प्रदान करना एवं समय–समय पर उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहना। 11. संस्था के सदस्यों की जानकारी एकत्रित करना व प्रकाशित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नही है।
6. सदस्यता :–	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगेः– 1. जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट (Pass Out) विद्यार्थी जो न्यूनतम शुल्क, जिसे समय–समय पर साधारण सभा द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अदा कर सदस्यता ग्रहण कर सकते है। 2. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 3. पागल व दीवालिया न हों। 4. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगेः– 1. जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा (झुंझुनू) से पास आउट (Pass Out) सभी पूर्व विद्यार्थी स्वतः सदस्य होंगे। 2. पागल व दीवालिया न हों। 3. संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 4. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
7. सदस्यों का वर्गीकरण :–	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगेः– 1. संरक्षण (जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा के प्राचार्य, संस्था के अस्तित्व में रहने तक संस्था के संरक्षक के रूप में नियुक्त रहेंगे) 2. विशिष्ठ (X) 3. समानीय (X) 4. साधारण (X)	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगेः– 1. संरक्षक (जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा के पदेन प्राचार्य, संस्था के अस्तित्व में रहने तक संस्था के संरक्षक के रूप में नियुक्त रहेंगे) 2. साधारण
8. सदस्यों द्वारा देय शुल्क :–	उप नियम संख्यां 5 में अंकित सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क निम्न प्रकार देय होगाः– 1. संरक्षण (X) राशि रू .... वार्षिक / आजन्म 2. विशिष्ठ (X) राशि रू .... वार्षिक / आजन्म 3. समानीय (X) राशि रू .... वार्षिक 4. साधरण राशि रू. 500 / – वार्षिक उक्त राशि एक मुश्त जमा करवाई जा सकेगी।	उप नियम संख्यां 6 में अंकित सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क निम्न प्रकार देय होगाः– 1. संरक्षक :– शून्य। 2. साधारण :– शून्य। यद्यपि सदस्यता शुल्क शून्य है परन्तु बैच संयोजक द्वारा अपने मताधिकार को प्राप्त करने हेतु बैच के सदस्यों से मताधिकार राशि एकत्र करने हेतु स्वतंत्र होगा। मताधिकार राशि निम्नानुसार रहेगीः– 1. प्रथम 7 बैच (2002 से 2008) :– रू. 15000 प्रति बैच। 2. अंतिम 7 बैच (चुनावी वर्ष के चालू वित्तीय वर्ष को अंतिम बैच माना जाएगा) :– रू. 5000 प्रति बैच। 3. उक्त के अतिरिक्त शेष सभी बैचः– रू. 10000 प्रति बैच।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Sanjeev Kumar
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.0... ...:38:45 IST
Reason: Approv...
Location:

		साधारण सभा उक्त राशि मे समय–समय पर संशोधन हेतु अधिकृत होगी।
9. सदस्यता से निष्कासन :–	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निणर्य हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा। 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर 3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर 4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाए जाने पर। बिन्दु संख्यां 3 व 4 मे वर्णित कृत्यों हेतु दोषी पाए जाने पर प्रथम बार दोषी पाए जाने 5 वर्ष के लिए तथा द्वितीय बार दोषी पाए जाने पर आजीवन निष्कासित कर दिया जाएगा। उक्त प्रकार के निष्कासन आगामी साधारण सभा के 2/3 बहुमत से ही प्रभावी होंगे।
10. साधारण सभा :–	संस्था के उपनियम संख्यां 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	संस्था के उपनियम संख्यां 7 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
11. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	सधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगेः– 1. कार्यकारिणी का निर्माण करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. कार्यकारिणी के पदारिधकारियों एवं संस्था के सदस्यों को संस्था से साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पदच्युत करने का अंतिम निर्णय लेना। 5. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा।)	सधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगेः– 1. कार्यकारिणी का चुनाव करना। 2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. कार्यकारिणी द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा व पुष्टि करना। 4. संस्था के सदस्यों के निष्कासन पर अंतिम निर्णय लेना। 5. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं संस्था के सदस्यों को संस्था से साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पदच्युत करने का अंतिम निर्णय लेना। 6. संस्था की साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।)
12. साधारण सभा की बैठके :–	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/10 होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।	1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल न्यूनतम 50 सदस्य होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

JAWANS
सिद्धिर्भवति कर्मजा
Success is Born of Action

Jhunjhunu Alumni Welfare Association for Navodayans Society

(An State level organisation for welfare of JNV Kajra Alumni)
e-mail:- jnvkjawans@gmail.com

	4. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। 5. संस्था के 1/10 अथवा 50 सदस्य इनमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उस वक्त 50 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।	4. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः 7 दिन पश्चात् आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे। 5. संस्था के 1/10 अथवा 50 सदस्यों, इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 50 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।
13. कार्यकारिणी का गठन :–	संस्था के कार्य जो सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पराधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः– 1. अध्यक्ष–एक 2. उपाध्यक्ष–एक 3. सचिव–एक 4. कोषाध्यक्ष–एक 6. सदस्य–11 इस कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी मिलाकर कुल 15 सदस्य होंगे।	संस्था के कार्य जो सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिसके पधाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगेः– 1. अध्यक्ष–एक 2. सचिव–एक 3. कोषाध्यक्ष–एक 4. सदस्य–7 इस कार्यकारिणी में 3 पदाधिकारी व 7 सदस्यों सहित कुल 10 सदस्य होंगे जिनमें से कम से कम दो सदस्य महिला होना आवश्यक होगा।
14. महामात्य		**महामात्य (Premier)** संस्था में महामात्य का पद जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा (झुंझुनू) के प्रथम सात बैच के सदस्यों के लिए सुरक्षित रहेगा जो अपने अनुभवों एवं परिपक्वता के जरिए कार्यकारिणी के मार्गदर्शन का कार्य करेगा। **निर्वाचन प्रक्रियाः–** महामात्य का मनोनयन प्रत्येक वर्ष प्रथम सात बैच में से बैच संयोजको द्वारा किया जाएगा। महामात्य बैच संयोजक के अतिरिक्त होगा। **अधिकार एवं कर्त्तव्यः–** • कार्यकारिणी का मार्गदर्शन करना। • लगातार 6 महीनों तक कार्यकारिणी की कोई बैठक नही होने की दशा में साधारण सभा की

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Farat Chauk, Loharu-Chirawa Road, Surajgarh
District- Jhunjhunu(Raj.) Pin-333029

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

e-mail:- jnvkjawans@gmail.com

		बैठक बुलाना एवं कार्यकारिणी के विरूद्ध उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करवाकर कार्यकाल समाप्ति से पूर्व कार्यकारिणी को खण्डित करना। • कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेना। • अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार करना एवं अध्यक्ष एवं सचिव की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करना। • कार्यकारिणी के सदस्यों एवं पदाधिकारियों में तालमेल स्थापित करना। • किसी बैच से बैच संयोजक मनोनीत/निर्वाचित होकर नही आने पर सम्बंधित बैच से बैच संयोजक मनोनीत करना। • बैच संयोजक के रूप में महिला सदस्यों के नही आने पर कार्यकारिणी सदस्यों हेतु आवश्यक न्यूनतम महिला सदस्य नियुक्त करना। • मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
15. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–	1. संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। प्रथम चार (4) वर्ष तक कार्यकारिणी का चुनाव विद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थियों में से किया जावेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जावेगी। 4. संस्था के तीनो पदाधिकारियों का चुनाव प्रथम चार वर्ष तक प्रत्येक वर्ष प्रथम बैच से तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष क्रमशः नीचे के बैचो से किया जाएगा। 5. अध्यक्ष का चुनाव साधारण सभा द्वारा पूर्ण सर्वसम्मति से किया जावेगा। पूर्ण सहमति नही बनने पर अध्यक्ष पद हेतु प्राप्त पेनल को निर्वाचन अधिकारी साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साधारण सभा में 2/3 बहुमत से अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न होगा।	1.संशोधित विधान पंजीकृत होते ही मौजूदा कार्यकारिणी स्वतः खण्डित हो जाएगी। नई कार्यकारिणी हेतु निम्न 5 सदस्यीय चुनाव समिति के लिए संशोधित विधान पंजीकृत होने के 10 दिन के भीतर चुनाव तिथि घोषित कर एक माह के भीतर चुनाव सम्पन्न करवाना अनिवार्य होगाः— i. विनोद खेदड़ (अध्यक्ष) ii. विक्रम गहलावत (सदस्य) iii. रामसिंह मीणा (सदस्य) iv. अमित चौधरी (सदस्य) v. राजेन्द्र ऐचरा (सदस्य) 2. आगामी वर्षों में प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यकारिणी का चुनाव इच्छुक सदस्यों से नामांकन करवाकर तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा गठित 5 सदस्यीय चुनाव समिति द्वारा सभी बैच संयोजको की वोटिंग से अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा सम्पन्न करवाया जाएगा। बैच संयोजक अपने बैच से निर्वाचित/मनोनीत होकर आऐंगे। इस हेतु प्रत्येक बैच को अपने दो बैच संयोजक (एक

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S... eev Kumar
Designation : REG... RAR
Date: 2023.0... :38:45 IST
Reason: Approv...
Location:

e-mail:- jnvkjawans@gmail.com

		लड़का एवं एक लड़की) मनोनीत/निर्वाचित कर निर्धारित प्रारूप में बैच संयोजको का नाम चुनाव समिति को सौंपना होगा। बैच संयोजक हेतु बैच के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। यदि किसी वर्ष किसी बैच से बैच संयोजक मनोनीत/निर्वाचित होकर नही आता है तो उस बैच से बैच संयोजक का मनोनयन महामात्य द्वारा किया जाएगा। यदि महामात्य द्वारा मनोनीत सदस्य अपने मनोनयन को लिखित में अस्वीकार करता है तो उस स्थिति में सम्बंधित बैच से बैच संयोजक का पद उस वर्ष रिक्त माना जाएगा। 3. आगामी वर्षों में कार्यकारिणी के चुनाव करवाने हेतु 5 सदस्यीय चुनाव समिति का गठन तत्कालीन कार्यकारिणी द्वारा अपना कार्यकाल समाप्त होने के एक माह पहले 2/3 बहुमत द्वारा किया जाएगा। 4. कार्यकारिणी में तीनो पदाधिकारी एवं सदस्यों हेतु नामांकन के लिए आवेदक के पास निम्न योग्यता होना आवश्यक है:— a) विद्यालय से 12वीं पास आउट हुए कम से कम 7 वर्ष पूर्ण हो चुके हो।(पास आउट होने के बाद 7 वर्ष का समय उच्च शिक्षा एवं कैरियर निर्माण हेतु अतिआवश्यक है) b) एक सदस्य मात्र एक पद के लिए ही नामांकन भरने के लिस अधिकृत होगा। c) कोषाध्यक्ष पद हेतु वाणिज्य/लेखा/बैंकिंग आदि में अनुभवी व्यक्ति के लिए आरक्षित रहेगा।
16. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :—	1. सदस्य बनाना और निष्कासन की कार्यवाही करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. साधारण सभा की बैठक का स्थान व समय निर्धारित करना। 7. निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करना। 8. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।	1.सदस्यता जारी रखने हेतु वार्षिक शुल्क संग्रहण करना, वार्षिक शुल्क नही देने पर सदस्यता खोने वाले पूर्व सदस्यों से वार्षिक शुल्क संग्रह कर पुनः सदस्य बनाना एवं सदस्यों के निष्कासन की कार्यवाही करना। 2.वार्षिक बजट तैयार करना। 3.संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4.संस्था के कार्यों के संपादन हेतु वैतनिक/संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5.साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S... eev Kumar
Designation : REG... RAR
Date: 2023.0... :38:45 IST
Reason: Approv...
Location:

	9. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।	6. साधारण सभा की बैठक का स्थान व समय निर्धारित करना। 7. कार्यकाल समाप्ति के एक माह पूर्व चुनाव समिति का गठन करना। 8. कार्य व्यवस्था हेतु समितियों का गठन करना। 9. संस्था के हितार्थ अन्य आवश्यक कार्य करना।
17. कार्यकारिणी की बैठक :–	1. कार्यकारिणी की वर्ष मे कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्यां के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसने दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।	1. कार्यकारिणी की वर्ष मे कम से कम 4 बैठकें अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्यां के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व में भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में अध्यक्ष द्वारा बैठक स्वतः स्थगित हो जाएगी जो पुनः दूसरे दिन आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नही होगी। परन्तु विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों अथवा महामात्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा। 5. कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक में महामात्य की उपस्थिति प्रार्थनीय है।
18. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–	1. अध्यक्ष • बैठकों की अध्यक्षता करना। • मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना। • बैठके आहुत करना। • संस्था का प्रतिनिधित्व करना। • संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना। 2. उपाध्यक्ष • अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 3. सचिव • बैठकें आहुत करना।	**1. अध्यक्ष** • कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठके आहूत करना एवं अध्यक्षता करना। • संस्था का प्रतिनिधित्व करना। • संविदा तथा अन्य सभी कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। • कार्यकारिणी के सचिव, कोषाध्यक्ष एवं सदस्यों का इस्तीफा स्वीकार करना। • वैतनिक/संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति करना। **2. सचिव** • कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठकें आहुत करना।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

	• कार्यवाही लिखना तथा रिकॉर्ड रखना। • आय–व्यय पर नियंत्रण करना। • वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। • अध्यक्ष की अनुमति से संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। • पत्र व्यवहार करना। • सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो। 4. कोषाध्यक्ष • वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना। • दैनिक लेखा पर नियंत्रण रखना। • चन्दा/शुल्क/अनुदान/आदि प्राप्त कर रसीद देना। • अन्य प्रदत्त कार्य करना।	• अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी एवं साधारण सभा की बैठको की अध्यक्षता करना। • कार्यवाही लिखना तथा अन्य सभी प्रकार के रिकॉर्ड रखना। • अध्यक्ष की लिखित अनुमति से संस्था का प्रतिनिधित्व करना व संविदा तथा अन्य सभी कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। • पत्र व्यवहार करना। • संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य वैधानिक कार्य जो आवश्यक हो। **3. कोषाध्यक्ष** • वार्षिक तथा दैनिक लेखा–जोखा तैयार करना तथा नियंत्रण रखना। • वार्षिक बजट तैयार कर साधारण सभा से पारित करवाना। • आय–व्यय पर नियंत्रण करना। • वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना। • चन्दा/शुल्क/अनुदान/आदि प्राप्त कर रसीद देना। • कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य कार्य सम्पन्न करना।
19. बैच संयोजको के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–		बैच संयोजको के निम्न अधिकार एवं कर्त्तव्य होंगेः– • अपने बैच के सभी सदस्यों में समन्वय स्थापित करना एवं बैच के सोशल मीडियां अकाउन्ट को सौहार्दपूर्ण तरीके से संचालित करना। • बैच के सदस्यों के मध्य आपसी विवादों का निस्तारण सौहादपूर्ण वातावरण में करना। • संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों एवं गतिविधियों से बैच सदस्यों को अवगत करवाना। • प्रति वर्ष मताधिकार राशि संस्था कोष में जमा करना। • बैच सदस्यों को संस्था के विभिन्न सोशल मीडियां प्लेटफॉर्म्स पर अनुशासन बनाएं रखने

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		हेतु प्रेरित करना एवं किसी सदस्य के बार–बार अनुशासनहीनता करने पर उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु कार्यकारिणी को सुझाव देना। ● बैच के किसी सदस्य के साथ अप्रिय घटना घटित होने पर कार्यकारिणी को सूचित करना।
20. संस्था की विभिन्न समितियां एवं उनके प्रमुखों के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–		● संस्था की निम्नलिखित 6 स्थायी समितियां होंगी। प्रत्येक समिति मे एक प्रमुख (कार्यकारिणी के सदस्यों में से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों द्वारा चुना जाएगा) एवं 2 सदस्य (बैच संयोजको में से कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं सम्बंधित समिति प्रमुख द्वारा चुने जाऐंगे) होंगे जिनका उत्तरदायित्व सम्बंधित समिति के निर्धारित एवं कार्यकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य कार्यों को सम्पन्न करना होगाः– 1. **Infrastructure Committee**:– इस समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगेः– ● विद्यालय के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर उसे गतिशील करना। ● विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं यथा विद्यार्थियों की सुरक्षा, खेल सामग्री, चिकित्सा व अन्य उपयोगी सुविधाएं विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से विद्यालय कोष द्वारा उपलब्ध करवाना। ● संस्था के कार्यालय एवं अन्य Infrastructure Projects के लिए जमीन आवंटित करवाना एवं Project को पूर्ण करवाना। 2. **Felicitation Committee**:– इस समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगेः– ● विभिन्न क्षेत्रों में यथा शिक्षा, शिक्षण, खेलकूद, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां आदि में विद्यालय का नाम रोशन करने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षको को सम्मानित कर अन्य विद्यार्थियों एवं शिक्षको को प्रेरित करना। ● वार्षिक Alumni Meet पर प्रति वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर संस्था का नाम रोशन करने वाले सदस्यों को कार्यकारिणी से पुरस्कृत करवाना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		3. **Career Counselling & Disciplinary Committee**:– इस समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगेः– • वर्तमान व पूर्व विद्यार्थियों को उनकी विषय एवं क्षेत्र की अभिरूचियों को पहचानने में मदद करना। • विद्यार्थियों की अभिरूचियों के अनुसार उनकी आगे की शिक्षा एवं कैरियर के निर्धारण में वांछित सहयोग प्रदान कर सफलता प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना। • उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा (IIT,NIT, Govt. Medical Colleges, IISc, IIM, Recognised Universities etc.) हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय काजड़ा (झुंझुनू) के जरूरतमंद विद्यार्थियों को चिन्हित कर उन्हें छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने हेतु कार्यकारिणी को अनुशंषित करना। इस हेतु विद्यार्थियों की चयन प्रक्रियां शैक्षणिक योग्यता एवं पारिवारिक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ होनी आवश्यक है। • देश में संचालित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर विद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष रियायत/छात्रवृत्ति दिलाने हेतु प्रयासरत रहना। • विद्यालय में निरंतर जाकर या सम्पर्क द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता मे आवश्यकता सुधारो हेतु प्राचार्य को सुझाव देकर क्रियान्वित करवाना करना। • विद्यालय में अनुशासन बनाएं रखने में सहयोग करना व विद्यालय में कोई अप्रिय घटना या विद्यार्थियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली घटनाओं को रोकने हेतु प्रयासरत रहना। • विद्यालय में होने वाली विभिन्न घटनाक्रम एवं कार्यक्रमों की जानकारी रखते हुए संस्था का योगदान सुनिश्चित करना। • संस्था/सदस्यों से सम्बंधित किसी अप्रिय घटना का स्वयं संज्ञान लेना या शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही कर कार्यकारिणी को सूचित करना।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Sanjeev Kumar
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.0[illegible] 38:45 IST
Reason: Approved
Location:

		• संस्था द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति / वित्तीय सहायता के सदुपयोग की पुष्टि कर कार्यकारिणी को प्रमाणपत्र पेश करना। • संस्था द्वारा छात्रवृत्ति / वित्तीय सहायता प्राप्त सदस्य के सफलता प्राप्त करने पर उसे नैतिक आधार पर राशि संस्था के कोष में जमा करने हेतु प्रेरित करना। 4. **Communication & Networking Committee**:– इस समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे:– • विद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों को संस्था से जुड़े रहने हेतु प्रेरित करना। • समाज में संस्था की सम्मानजनक छवि बनाने में प्रयासरत रहना। • संस्था की वेबसाइट को अद्यतन रखना एवं सोशल मिडियां के विभिन्न प्लेटफोर्मों के माध्यम से संस्था की सजीव मौजूदगी बनाएं रखना। • संस्था की ई–मेल का प्रबंधन करना। • संस्था के सोशल विभिन्न सोशल मीडिया अकाउन्ट का प्रबंधन करना।संस्था के निम्न सोशल मीडिया अकाउन्ट होंगे:– 1. WhatsApp:- Two Groups (i) JAWANS Executive:- कार्यकारिणी के सदस्य एवं बैच संयोजक (ii) JAWANS:- संस्था के सभी सदस्य 2. Facebook :- JAWANS 3. Twitter:- JAWANS 4. Instagram:- JAWANS • उक्त सोशल मीडियां अकाउन्ट के अतिरिक्त उपरोक्त सोशल मीडियां प्लेटफॉर्म पर संस्था के नाम से अन्य कोई अकाउन्ट पाए जाने पर उसे अवैध घोषित कर सदस्यों को सूचित करना तथा प्रकाशित करना। 5. **Liaison & Social Welfare Committee**:– इस समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे:–

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		• संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सभी नवोदय विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थियों से सम्पर्क बनाएं स्थापित करना। • संस्था के कोष के अतिरिक्त राशि जुटाने के लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति/भामाशाह/व्यवसायी या प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क साधना। • संस्था की अन्य समितियों को अपने कर्त्तव्य निर्वहन में आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना। • संस्था के सदस्यों के स्वर्गवासी होने पर उनके परिवार को मानसिक एवं आर्थिक संबल प्रदान करना एवं संस्था की सहायता से समय–समय पर उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहना। ऐसी स्थिति में वित्तीय सहायता हेतु कार्यकारिणी को अनुशंषित करना। • संस्था के सदस्यों को संस्था या विद्यालय की छवि को धूमिल वाले कृत्य करने से रोकना। 6. **Women Empowerment & Welfare Committee:– इस समिति की प्रमुख एवं सदस्य महिलाए ही होंगी। किसी वर्ष बैच संयोजक रूप मे महिला सदस्यों के मनोनीत/निर्वाचित नही होने की स्थिति में समिति हेतु प्रमुख एवं सदस्यों का मनोनयन महामात्य द्वारा किया जाएगा।** समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार होंगे:– • विद्यालय से Pass Out सभी पूर्व छात्राओं को संस्था से सक्रिय रूप से जोड़े रखना एवं उनमें समन्वय स्थापित करना। • महिलाओं के साथ समाज एवं कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के प्रति जागरूक करने हेतु विभिन्न सेमिनार एवं जागरूकता रैली/कैम्प आयोजित करना। • महिला सदस्यों को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण हेतु कैम्प आयोजित करना। • संस्था की महिला सदस्यों के कल्याण एवं उनके उत्थान के लिए प्रयास करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible] [illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		• संस्था की महिला सदस्यों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने एवं Job करने हेतु प्रेरित करना एवं इस उद्येश्य की प्राप्ति में किसी महिला को आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने में उनकी सहायता करना। • विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं को उम्र के हिसाब से होने वाले परिवर्तनों एवं स्वस्थता हेतु जागरूक करना। • संस्था के महिला सदस्यों एवं विद्यालय में अध्यनरत छात्राओं के साथ समाज एवं कार्यस्थल पर होने वाले शोषण के रोकथाम हेतु उचित कदम उठाना एवं पीड़िता को उचित न्याय दिलाने हेतु प्रयास करना। • महिला सदस्यों से सम्बंधित सभी समस्याओं/प्रकरणों को गोपनीय रखा जाएगा।
21. संस्था का कोष :–	संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा– • चन्दा • शुल्क :– सदस्यता शुल्क अनिवार्य, अंशदान स्वैच्छिक • अनुदान • सहायता • राजकीय अनुदान • बाह्य वित्तीय सहायता:– व्यक्तिगत, संस्थागत (क) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जावेगी। (ख) अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेनदेन संभव होगा।	संस्था का एक कोष होगा जिसे किसी अनुसूचित बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा जिसका लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जाएगा। 1. कोष निम्न प्रकार से संचित होगा– • चन्दा • अंशदान :–सदस्यो द्वारा अंशदान स्वैच्छिक रहेगा। • अनुदान • सहायता • राजकीय अनुदान • बाह्य वित्तीय सहायता:– व्यक्तिगत, संस्थागत **2. संस्था के खाते से लेनदेनः– रू. 50000/– तक की राशि का लेनदेन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी के भी एकल हस्ताक्षर से तथा रू. 50000/– से अधिक राशि का लेनदेन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से संभव होगा।** 3. कोष का उपयोग:– 1) संस्था के कार्यालय के संचालन हेतु। 2) संस्था द्वारा प्रयोजित कार्यक्रमों यथा एल्युमनी मीट, कैरियर काउंसलिंग, शिविर, सम्मान समारोह आदि के आयोजनों हेतु। 3) संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S[illegible]eev Kumar
Designation : REG[illegible]RAR
Date: 2023.0[illegible]:38:45 IST
Reason: Approv[illegible]
Location:

		4. संस्था के कोष से सम्बंधित जानकारी निम्नानुसार है :– खाता संख्यां :– **44860100012953** खाते का नाम :– Jhunjhunu Alumni Welfare Association For Navodayans Society बैंक का नाम एवं शाखा :–Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank, Collectorate Circle, Jhunjhunu IFS Code:- BARB0BRGBXX (5th Letter in IFS Code is **Zero**)
22. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकें। 1. अध्यक्ष 5000 / – रूपये 2. सचिव 3000 / – रूपये 3. कोषाध्यक्ष 3000 / – रूपये उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी।	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेंगे:– 1. अध्यक्ष– 50000 / – रूपये 2. सचिव– 50000 / – रूपये 3. कोषाध्यक्ष– 50000 / – रूपये 4. महामात्य 50000 / –रूपये **उक्त राशि स्वीकृतकर्ता पदाधिकारी के एकल हस्ताक्षर से आहरण की जा सकेगी।** उपरोक्त राशि का अनुमोदन कार्यकारिणी की आगामी बैठक में कराया जाना अनिवार्य होगा। **5. कार्यकारिणी 2/3 बहुमत द्वारा संस्था की असीमित राशि एकमुश्त स्वीकृत कर सकेगी जिसका लेनदेन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से संभव होगा।**
23. संस्था के सदस्यों के आचरण के नियम:–		1. संस्था के प्रति सत्यनिष्ठा एवं समर्पण भाव रखना। 2. सदस्यों के लिए संस्था की छवि को धूमिल करने वाले सभी कार्य वर्जित होंगे। 3. संस्था के संचालन हेतु साधारण सभा द्वारा निर्धारित शुल्क एवं अंशदान समय–समय पर संस्था कोष में जमा करवाना। 4. संस्था के हितों को निजी हितों पर वरीयता प्रदान करना एवं संस्था के मंच को निजी हितो एवं विवादों हेतु उपयोग न करना। 5. संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के सफल आयोजन में सक्रिय योगदान अदा करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by S eev Kumar
Designation :REG RAR
Date: 2023.06 :38:45 IST
Reason: Approv
Location:

		6. सदस्यों के मध्य आपसी विवादों का निस्तारण सौहादपूर्ण वातावरण में करना।
24. संस्था का लेखा–जोखों का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों का वार्षिक अंकेक्षण मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।	संस्था के समस्त लेखा–जोखो का वार्षिक अंकेक्षण कोषाध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त बाहरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जायेगा।
25. संस्था के विधान में परिवर्तन व परिवर्द्धन :–	संस्था मे विधान मे आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	संस्था मे विधान मे साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
26. संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिकनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जाएगी लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।
27. संस्था के लेखा–जोखो का निरीक्षण :–	रजिस्ट्रार संस्थायें झुंझुनूं को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	रजिस्ट्रार संस्थायें झुंझुनूं को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।
28. वित्तीय वर्ष :–	संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा।	संस्था का वित्तीय वर्ष अप्रेल से मार्च होगा।

प्रस्ताव संख्यां 1 से 28 पर साधारण सभा ने विस्तृत विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से संशोधित विधान को स्वीकार कर संस्था के सदस्य श्री अमित चौधरी एवं श्री संदीप कुमार को इसे यथाशीघ्र पंजीकृत करवाने हेतु अधिकृत किया गया है।

Jhunjhunu Alumni Welfare Association For Navodayans Society
President

Jhunjhunu Alumni Welfare Association For Navodayans Society
Treasurer

Jhunjhunu Alumni Welfare Association For Navodayans Society
Secretary

Signature valid

Digitally signed by Sanjeev Kumar
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.0_ _ _:38:45 IST
Reason: Approved
Location: